उद्योगों में बिजली की कमी

1964. श्री वीरेन्द्र प्रसाद : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बड़े और छोटे उद्योग बिजली की कमी के कारण अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ हैं और इसकी वजह से उत्पादन में किस प्रतिशत की कमी हुई है और

(ख) बिजली की कमी को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नानडिस) . (क) विद्युत ऊर्जा की कुल खपत में उद्योग क्षेत्र का हिस्सा करीब 60 प्रतिशत है। सीमान्त प्रतिशत के अलावा बिजली की कटौती का औद्योगिक उत्पादन खास तौर से निरन्तर प्रक्रिया वाले उद्योगों जैसे अल्युमीनियम कास्टिक सोडा, केल्शियम कार्बाइड, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स आदि पर प्रभाव पड़ता है। जो प्रक्रिया की दृष्टि से विद्युत पर उद्योग हैं विभिन्न औद्योगिक उत्पादन क्षमता के कम उपयोग में केवल बिजली की कमी से हुई हानि का पता लगाना कठिन है क्योंकि अन्य कारणों जैसे वित्त की कमी, मांग में मन्दी, श्रमिक विवादों, निवेश की उपलब्धता आदि का भी औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है।

(ख) (1) इस वर्ष मार्च 1978 तक करीब 2000 मेगावाट बिजली पैदा होने की आशा है। वर्ष 1978–79 के लिए 3662 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें से 2655 मेगावाट थर्मल और 1007 मेगावाट हाइड्रो क्षमता है। इसके अलावा विद्यमान थर्मल विद्युत स्टेशनों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए भी अभ्युपाय किए जा रहे हैं।

(2) चूंकि कुछ उद्योग ऊर्जा शक्ति की अपनी कमी प्रक्रिया संचालनों में जो टोटल एनर्जी कनसेप्ट कहा जाता है, अपनी स्वयं की ऊर्जा पैदा कर के पूरी कर सकते हैं। अतः हाल ही में यह निश्चय किया गया है कि भविष्य में जब कभी ऐसे उद्योग के बारे में एक आशयपत्र औद्योगिक लाइसेंस जारी किया जाता है जिसमें या तो प्रक्रिया स्टीम की आवश्यकता होगी अथवा बेकार ऊष्मा उपलब्ध होगी उसमें यह शर्त लगायी जानी चाहिए कि उद्यमी लोग विद्युत विनियमों के अनुसार उपयुक्त पैमाने पर कैप्टिव ऊर्जा जनित्रण क्षमता स्थापित करेंगे। यह खास तौर से उन निरन्तर प्रक्रिया उद्योगों के मामले में जो स्टीम अथवा बिजली का उपयोग करते हैं लागू होगा।

(3) विद्युत सम्भरण की अप्रत्याशित कटौती के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने और बिजली की कटौती के फलस्वरूप उत्पादन में आने वाली बाधा को यथासम्भव कम करने का सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक उपभोक्ताओं को जिन्हें अपने उत्पादन प्रयासों को चलाते रहने के लिए इस प्रकार के सहायक विद्युत सम्भरण की आवश्यकता है उन्हें डीजल जनित्रण करने वाले सहायक सेटों का आयात करने की सुविधा प्रदान करने का निश्चय किया गया है। इस ध्यान में रखते हुए 625 के वी ए से बड़े आकार के डीजल जनित्रण करने वाले सेटों का आयात करने की अनुमति विज्ञापन देने की प्रक्रिया को अपनाए बिना दे दी जाती है।

Code of Conduct for Members of Council of Ministers

1965 SHRI HITENDRA DESAI Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state

(a) is there a code of conduct for the members of Council of Ministers; and

(b) if so, what are its salient features?